भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3574
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

## राजस्थान में एसडीएम कोर्ट के लिए भूमि का आबंटन

**3574. श्री राजकुमार रोत :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डूंगरपुर जिले में अनुमोदित उप-विभागीय (उपखंड) मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली को आबंटित भूमि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वित्तीय स्वीकृति कब से जारी की गई है और कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त न्यायालय का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या न्यायालय भवन के निर्माण तक कैम्प कोर्ट के संचालन की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली का निर्माण कार्य शुरू करने में मदद करने की संभावना है ?

## उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) से (ड.) :** राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बजट वर्ष 2023 में उप-विभागीय (उपखंड) मजिस्ट्रेट न्यायालय, चिखली, जिला डूंगरपुर, राजस्थान के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। तथापि, बजट वर्ष 2014-15 में चिखली, डूंगरपुर में उप-विभागीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 199.76 लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी। इसके लिए 0.8090 हेक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा आवंटित किया गया था। भवन का निर्माण वर्ष 2016-17 में पूरा हुआ और वर्ष 2020 से उप-विभागीय मजिस्ट्रेट न्यायालय का कार्यालय परिसर में कार्य कर रहा है।

********